

राजस्व वाद संख्या 298/2013

GCMS NO. 2013/00231

कुम्भाराम बनाम रामकरण वगैरे

आदेश दिनांक 16.12.2025

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : सुमन देवी

(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिक्री

राजस्व वाद संख्या :- 298/2013 (कुम्भाराम बनाम रामकरण वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरू, सुमन देवी, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रुबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 25.02.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 18 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विधिवत् विभाजन तैयार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2025/1912 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.12.2025 निर्णयवाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम बासडी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 300 रकबा 0.51 है0 भूमिका निम्न प्रकार खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा :-

क्र.सं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है0 में)	भूमि किस्म
1	कुम्भाराम पुत्र हरीराम हि. पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	300/1	0.44	बा.1
		300/2	0.027	गै0मु0रास्ता
		किता-2	0.427	
2	श्रीराम पुत्र मंगलाराम हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	300/3	0.043	बा.1

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.12.2025 को जारी की गई।



(सुमन देवी)

उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर